टी बोर्ड भारत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार
14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता- 700 001
www.teaboard.gov.in

दिनांक: 14.07.2026

कार्यालय ज्ञापन सं.79/2026

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय, कून्नूर से संबद्ध, श्री आर. सेल्वम, (एस-394, सहायक निदेशक चाय विकास, दिनांक 06.04.2027 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। एफआर 56 (ए) के साथ पढ़े जाने वाले टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, उन्हें दिनांक 30.04.2027 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्री सेल्वम, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है तथा जिसके वे हकदार है । तथापि, यदि वब भारत के भीतर बिताते है तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 25.09.2008 को जारी का.ज्ञा. संख्या 14028/3/2008-स्था (एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।

(पी. सी. बोरो)
सहायक सचिव

वितरण:

1.	श्री आर. सेल्वम, (एस-394, सहायक निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड भारत, आंचलिक कार्यालय, कून्नूर	
2.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर	
3.	वि.स एवं मु.ले.अ.	
4.	नि चा वि	
5.	लेखा अधिकारी	
6.	उपाध्यक्ष/ वि.स एवं मु.ले.अ./सचिव के निजी सहायक	
7.	पेंशन विभाग	
8.	अवकाश शाखा	
9.	प्रभारी, पेंशन व पीएफ शाखा	
10.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
11.	टीबीईए	
12.	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लि, कोलकाता	
13.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. मिसिल सं. 21(1)/स्था/2020